भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2935

12 दिसंबर, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

मथुरा में 'जल ही अमृत' योजना के अंतर्गत लाभ

2935. श्रीमती हेमा मालिनीः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) 'जल ही अमृत' योजना के अंतर्गत बजटीय आबंटन और इस संबंध में निर्धारित लक्ष्य की तुलना में प्राप्त की गई उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उक्त योजना शहरी क्षेत्रों में जल प्रबंधन प्रणाली को बेहतर और प्रभावी बनाने में लाभदायक रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) मथुरा सहित उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों में जल प्रबंधन प्रणाली में किए गए सुधारों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री तोखन साहू)

(क) से (ग) : "जल ही अमृत" अमृत 2.0 सुधारों के तहत एक उप-योजना है, जिसका उद्देश्य राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) को निरंतर आधार पर पर्यावरणीय मानकों का अनुपालन करने वाले पुनर्चक्रण योग्य शोधित जल हेतु सीवेज शोधन संयंत्रों का कुशलतापूर्वक प्रबंधन करने के लिए प्रोत्साहित करना है। इस उप-योजना का फोकस क्षमता निर्माण और बहकर आने वाले अपशिष्ट जल में गुणात्मक सुधार को प्रोत्साहित करना है। इस पहल का लक्ष्य जल के पुनः उपयुक्त उपयोग के अवसर पैदा करना है, जो इस मिशन के तहत जल उपलब्धता बढ़ाकर जल संरक्षा के समग्र लक्ष्य में योगदान दें। परिकल्पित परिणाम इस प्रकार हैं:

(i) बहकर आने वाले शोधित अपशिष्ट जल की गुणवत्ता में सुधार

(ii) शहरी क्षेत्र में शोधित प्रयुक्त जल के पुनः उपयोग की क्षमता में वृद्धि तथा प्रयुक्त जल के पुनः उपयोग के माध्यम से जल उपलब्धता में वृद्धि।

(iii) लक्षित प्रशिक्षण के माध्यम से यूएलबी/पैरास्टेटल्स/परिचालन कार्मिकों की क्षमता में सुधार

(iv) परिचालन दक्षता और पारदर्शिता हेतु ऑनलाइन सतत प्रवाह/उत्सर्जन निगरानी प्रणाली (ओसीईएमएस) और पर्यवेक्षी नियंत्रण और डेटा अधिग्रहण (एससीएडीए) जैसी निगरानी प्रणालियों में वृद्धि।

इस कार्यक्रम के तहत, डेस्कटॉप मूल्यांकन, फील्ड सत्यापन, जल गुणवत्ता परीक्षण के आधार पर भाग लेने वाले एसटीपी का मूल्यांकन करने और उसके बाद अंतिम मूल्यांकन के आधार पर पात्र एसटीपी को छह महीने की वैधता के साथ स्टार रेटिंग प्रमाण पत्र जारी करने का प्रावधान किया गया है। विभिन्न समूहों में 3-स्टार और उससे अधिक रेटिंग वाले एसटीपी के लिए प्रोत्साहन राशि इस प्रकार है:

स्टार रेटिंग	समूह - 1	समूह - 2	समूह - 3	समूह – 4	समूह – 5
	शोधन क्षमता वाले एसटीपी				
	< 5 एमएलडी	5 से <10 एमएलडी	10 से <50 एमएलडी	50 से <100 एमएलडी	100 एमएलडी और उससे अधिक
*****	0.75 करोड़	1.5 करोड़	4 करोड़	6 करोड़	8 करोड़
****	0.5 करोड़	1 करोड़	2 करोड़	3 करोड़	5 करोड़
***	0.25 करोड़	0.75 करोड़	1 करोड़	2 करोड़	3 करोड़

इस पहल के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए पहले आओ पहले पाओ के आधार पर दो वर्षों अर्थात चालू वित्तीय वर्ष और अगले वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु अमृत 2.0 के तहत सुधार प्रोत्साहन के रूप में कुल मिलाकर 1,300 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है।

अब तक, 848 सीवेज शोधन संयत्रों को मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से (प्रस्तुत सूचना के आधार पर) नामांकित किया गया है। उत्तर प्रदेश में, 45 सीवेज शोधन संयत्रों ने ऑनलाइन पोर्टल पर जानकारी प्रस्तुत की है, जिसमें मथुरा का 01 सीवेज शोधन संयत्र भी शामिल है।

******